भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 159
उत्तर देने की तारीख: 03.02.2020

स्कूल बैगों का बोझ

†159. श्री संजय सेठः
श्री कुरुवा गोरांतला माधव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विषयों को पढ़ाने और स्कूल बैगों की वजन सीमा को विनियमित करने या कम करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं;
(ख) यदि हां, तो स्कूल बैग की वजन सीमा के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्कूल बैगों की वजन सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास यह निगरानी करने का कोई तंत्र है कि स्कूल उक्त दिशानिर्देशों को लागू कर रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नीचे दिए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 05/10/2018 के पत्र संख्या 1-4/2018-आईएस-3 के माध्यम से आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को एक पत्र जारी किया है :-

(i) राज्य बोर्ड/मैट्रीकुलेशन/आंग्ल भारतीय स्कूलों में कक्षा । और ।। के विद्यार्थियों को किसी प्रकार का गृहकार्य न देना ।

(ii) एनसीईआरटी द्वारा यथानिर्धारित कक्षा । और कक्षा ।। के विद्यार्थियों को भाषा और गणितशास्त्र को छोड़कर और कक्षा ।।। से कक्षा V तक विद्यार्थियों के लिए भाषा, ईवीएस और गणितशास्त्र को छोड़कर कोई अन्य विषय निर्धारित न करना।
(iii) कक्षा । से कक्षा ।। के विद्यार्थियों को गृहकार्य देने वाले और कक्षा ।।। से कक्षा V तक के विद्यार्थियों को गैर निर्धारित विषय प्रदान करने वाले स्कूलों का संबंद्धन समाप्त करना।
(iv) तेलंगाना या महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप स्कूल बैग के भार को कम करते हुए 'छात्र स्कूल बैग नीति' तैयार करना।
(v) स्कूलों के निरीक्षण हेतु विशेष दल का गठन करना और गैर-निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के इस्तेमाल को रोकना।

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ)- 2005 में पुराने तरीकों से सीखने की प्रथा को बदलने, स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान के साथ जोड़ने, बच्चों पर पुस्तकों का बोझ डालने के स्थान पर उनके समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाने और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीली और कक्षा से एकीकृत करने पर बल दिया गया है।

इस संदर्भ में एनसीईआरटी ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

i. नए पाठ्यक्रम और पुस्तकों में पाठ्यचर्या भार के संबंध में एनसीएफ 2005 परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा गया है और यह परस्पर संपर्क तथा बच्चों पर केंद्रित पढ़ाने की विधि पर आधारित है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्रियां इसकी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्ध हैं।

ii. एनसीईआरटी कक्षा I से II के लिए केवल दो पुस्तकों (भाषा और गणित) तथा कक्षा III से V के लिए तीन पुस्तकों (भाषा, ईवीएस और गणित) की सिफारिश करता है।

iii. एनसीएफ 2005 में सुझाव है कि स्कूलों को अपनी लचीली समय-सारणी तैयार करने की स्वायत्ता दी जाए ताकि स्कूली बच्चों को अन्य कार्यकलापों के लिए अधिक समय देते हुए और संकल्पना को अधिक गहराई से समझने के लिए प्रतिदिन दो या तीन विषय पढ़ाए जाएं। एनसीईआरटी शिक्षकों और स्कूल हेड के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम द्वारा इस मुद्दे का समाधान करता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 1-8 के लिए पुस्तकों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए परिपत्र जारी किए है। सीबीएसई ने दिनांक

12.09.2016 को भी एक परिपत्र जारी किया है जिसमें स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्कूल बैग का भार कम करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं और दिनांक 13.08.2018 के परिपत्र के माध्यम से स्कूलों को कक्षा-।। तक छात्रों को कोई गृहकार्य न देना सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

(ग) और (घ) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और देश के अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, जो समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

*****